सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार– I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2020 / 32 दर्ज तिथि:– 04.09.2020

1. दयानन्द शर्मा पुत्र नन्दकिशोर शर्मा जाति ब्राहमण निवासी कुनसीसर तहसील व जिला चूरू हाल कोटवाद नाथोतान उम्र 13 वर्ष नाबालिग जरिये वली माता सारिका पत्नी नन्दकिशोर जाति ब्राहमण निवासी गांव कुनसीसर तहसील व जिला चूरू
2. सारिका पत्नि नन्दकिशोर शर्मा जाति ब्राहमण निवासी कुनसीसर तहसील व जिला चूरू हाल कोटवाद नाथोतान तहसील व जिला चूरू

................प्रार्थीगण

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी कुनसीसर तहसील व जिला चूरू
2. शंभुदयाल पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी कुनसीसर तहसील व जिला चूरू
3. अन्नपूर्णा पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी कुनसीसर तहसील व जिला चूरू
4. किशना देवी पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी कुनसीसर तहसील व जिला चूरू

.... अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थी:– श्री आनन्द बालाण
अप्रार्थी:– श्री शंकर स्वामी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

निर्णय

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि उपरोक्त अनुवान का दावा प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण के खिलाफ घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर दिया गया जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की संभावना है।
2. प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जो स्व. सत्यनारायण के वारिसान हैं। प्रार्थीगण के परिवार का कुसीनामा निम्न प्रकार से है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:57 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

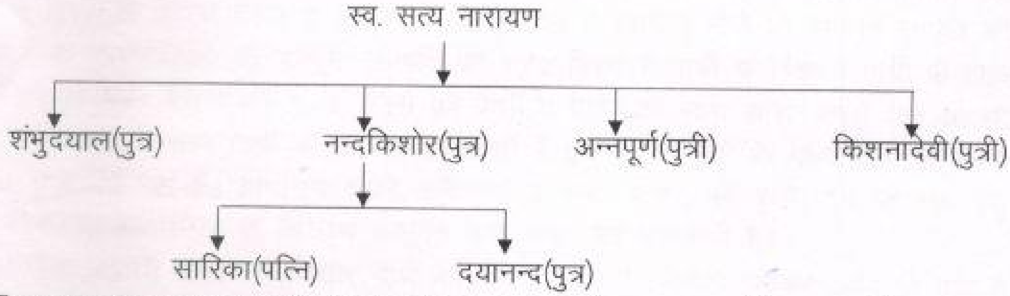

3. कृषि भूमि खसरा संख्या 32 तादादी 19.3869 हैक्ट., खसरा संख्या 34 तादादी 5.9438 हैक्ट. खसरा संख्या 35/384 तादादी 0.8094 हैक्ट. एवं खसरा संख्या 737/69 तादादी 4.0784 हैक्ट. व खसरा संख्या 481/73 तादादी 0.0759 हैक्ट. वाके रोही गांव कुनसीसर तहसील व जिला चूरू में स्थित हैं। यह कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 1 के दादा स्व. सत्यनारायण की खातेदारी की थी इस प्रकार यह कृषि भूमि प्रार्थी सं. 1 वा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 की पैतृक दादालाई मौरूसी जायदाद हैं व प्रार्थी की माता प्रार्थी सं. 2 के ससुर की सम्पति हैं। इस कृषि भूमि की खातेदारी पहले प्रार्थी सं. 1 के दादा व प्रार्थीनी सं. 2 के ससुर सत्यनारायण के नाम से थी जिनका स्वर्गवास करीब साढ़े 6 वर्ष पूर्व हो चुका है एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थी के पिता नन्दकिशोर प्रार्थी से ताऊ शंभुदयाल व बुआ के नामसे रिकॉर्ड में वर्तमान में खातेदारी दर्ज हो गई जो अप्रार्थी सं. 1 ता 4 हैं। इस प्रकार से उपर वर्णित वादगत कृषि भूमि प्रार्थी सं. 1 की Ancestral Property हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बखूबी बनता हैं व साबित हैं।

4. प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 संयुक्त परिवार के सदस्य हैं जो हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से शासित होते हैं तथा धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक पैतृक कृषि भूमि में दादा की सम्पति में पोता व पोती का जन्म से अधिकार होता हैं। प्रार्थी सं. 1 एवं अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 वादगत कृषि भूमि के Coparcenaries हैं इसलिए प्रार्थी सं. 1 का वादगत कृषि भूमि में By Birth हिस्सा हैं वा प्रार्थी भी अप्रार्थी सं. 1 के साथ उनकी सम्पूर्ण सम्पति पर सह हिस्सेदार होने से इस कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार हैं प्रार्थी सं. 2 प्रार्थी सं. 1 की माता हैं वा अप्रार्थी सं. 1 की पत्नी हैं वा प्रार्थीगण का भरण–पोषण इस कृषि भूमि से ही होता हैं इस कृषि भूमि के अलावा प्रार्थीगण के पास अपने भरण–पोषण आदि का अन्य कोई साधन नहीं हैं। आपसी पारिवारिक फैसलनामा अनुसार प्रार्थीगण कृषि भूमि खसरा नं. 32, 34 वा खसरा नं. 35/384 में से पूर्वी तरफ का आधा हिस्सा काश्त करते हैं इस वर्ष भी प्रार्थीगण ने वर्षा होने पर कुल कृषि भूमि में से पूर्वी तरफ की 1/2 हिस्सा कृषि भूमि में से बीस बीघा में बाजरी की फसल वा दस बीघा में मोठ की फसल एवं दस बीघा में मूंग की फसल वा 5 बीघा में तील की फसल काश्त कर रखी हैं वा पश्चिमी तरफ की 1/2 हिस्सा कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 2 शम्भूदयाल काश्त करता हैं। यह कृषि भूमि प्रार्थी सं. 1 के दादाजी वा प्रार्थीनी सं. 2 के ससुर स्व. सत्यनारायण ने अपने जीवनकाल में ही प्रार्थीगण के भरण–पोषण हेतु प्रार्थीगण को दे दी थी। प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त साबित है।

5. वादगत कृषि भूमि का मौके पर प्रार्थी के दादा व प्रार्थीनी सं. 2 के ससुर के जीवनकाल में मौखिक रूप उपरोक्त अनुसार बाहमी विभा[illegible] प्रार्थीनी सं. 2 अपने पति अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से में आई कृषि भूमि को ससु[illegible]ल में ही काश्त करती थी उसके बाद अपने पुत्र प्रार्थी सं. 1 के साथ [illegible] रही हैं। प्रार्थी की बुआ व प्रार्थीनी सं. 2 की नन्द अप्रार्थी स[illegible] दादाजी के समय से ही की हुई हैं जो अपने ससुराल में ही रहती हैं तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 [illegible] वादगत कृषि भूमि के किसी भाग पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:57 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

कब्जा नहीं हैं। कुटुम्ब में सदामत से चली आ रही प्रथा एवं रिति रिवाज के अनुसार पुत्रियों को सम्पति के हिस्से से अधिक दहेज के रूप में दे दिया जाता हैं इसलिए मौके पर वादगत सम्पति को प्रार्थी के दादा सत्यनारायण की सम्पूर्ण सम्पति को 1/2 हिस्से में प्रार्थी के पिता व प्रार्थी के ताऊ में विभाजित हो गई। इस प्रकार 1/2 हिस्से को प्रार्थी व प्रार्थी की माता काश्त करते चले आ रहे हैं तथा शेष 1/2 हिस्सेपर प्रार्थी के ताऊ काश्त करते हैं इस प्रकार मौके पर पक्षकारान का कब्जा व काश्त चला आ रहा हैं। प्रार्थीगण अपने अधिकारों व कब्जे काश्त की कृषि भूमि की रक्षा हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के खिलाफ कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

6. प्रार्थी का पिता अप्रार्थी सं. 1 नन्दकिशोर गांजे का सेवन करता है जिसका भंयकर आदि हो गया है तथा उनके सोचने समझने की स्थिति अत्यन्त दुर्बल हो गई तथा उनका मोह पत्नी व पुत्र में न होकर अपने भाई शंभूदयाल व भाभी में हो गया हैं तथा उन्हीं की बाते मानता हैं। प्रार्थी की माता के साथ मारपीट करता हैं। प्रार्थी सं. 1 की माता प्रार्थी सं. 2 को घर से बाहर निकाल देता हैं तथा प्रार्थी की माता से रूपयों की मांग करता हैं। रूपये न देने पर अपने नाम से खातेदारी भूमि को बेचने या अपने भाई अप्रार्थी सं. 2 के नाम करने की धमकी देता हैं। प्रार्थी का पिता अप्रार्थी सं. 1 अपने खाते की कृषि भूमि कोबेचकर अपने भाई अप्रार्थी सं. 2 को देने पर तुला हैं यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि को अन्तरण या अन्य किसी अजनबी व्यक्ति को बैनामा कर देगे जिस कारण प्रार्थीगण को भारी नुकसान भी होगा व वाद बाहुल्यता बढ़ जाएगी और प्रार्थीगण की घोर असुविधा व अपूर्तिय क्षति होगी इसलिए अप्रार्थीगणको जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वर्जित किया जावे।

7. प्रार्थी व प्रार्थी की माता प्रार्थी सं. 2 के पास इस वादगत कृषि भूमि के अलावा कुछ भी नही हैं। इस वादगत कृषि भूमि को काश्त करके ही प्रार्थीनी व प्रार्थी अपना जीवनयापन करते हैं। वादगत भूमि के अलावा प्रार्थी व प्रार्थी की माता के पास कोई आय का साधन नहीं हैं अगर वादगत कृषि भूमि को अप्रार्थी सं. 1 किसी भी प्रकार से अन्तरण कर दिया तो प्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी सं. 1 की माता प्रार्थी सं. 2 का भरण पोषण होना नामुमकिन हैं तथा प्रार्थीगण का भूखे मरने की नौबत आ सकती हैं। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 Coparceners की शर्तों को भंग कर रहा हैं तथा अप्रार्थी सं. 1 अपने पुत्र व अपनी पत्नी का भरण पोषण के लिए जो एकमात्र सहारा वादगत कृषि भूमि हैं। इसको अप्रार्थी सं. 1 किसी प्रकार से अन्तरण नहीं कर सकता ना ही संयुक्त परिवार की भूमि को अजनबी व नातेदार को विक्रय या कब्जा दे सकने का अधिकारी हैं व प्रार्थीनी सं. 2 एक अबला महिला हैं जो अपने व अपने पुत्र प्रार्थी सं. 1 का भरण पोषण करने हेतु उन्हें यह कृषि भूमि दी गई थी। इस वादगत कृषि भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि या आजीविका का कोई साधन नहीं है इसलिए अप्रार्थी सं. 1 द्वारा इस वादगत सम्पति को किसी भी प्रकार से अन्तरण कर दिया जाता हैं तो प्रार्थी व प्रार्थी की माता को न पूरा होने वाला नुकसान होगा व अपने समस्त अधिकारों से प्रार्थीगण वंचित हो जायेगे वा प्रार्थीगण का भरण पोषण नहीं हो सकेगा व प्रार्थी को न्याय प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से अप्रार्थी सं. 1 जरिये डिक्री चिर स्थाई निषेधाज्ञा वर्जित किया जाना आवश्यक है कि वादगत कृषि भूमि जो प्रार्थी का एकमात्र भरण पोषण का सहारा हैं उसे किसी प्रकार अन्तरण न करे ना प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करे ना प्रार्थीगण के उपयोग वा उपभोग में किसी प्रकार की बाधा डाले। इसलिए ये दावा पेश किया जा रहा हैं।

अतः अस्थाई व्यादेश प्राप्ति हेतु [illegible] निवेदन है कि मूल दावा के निर्णय तक अप्रार्थीगण को वर्जित किया जावे कि [illegible] कब्ज, काश्त व पुश्तैनी कृषि भूमि को या इस वादगत कृषि भूमि के [illegible] या किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण न [illegible] कब्जे काश्त व पुश्तैनी कृषि भूमि में जबरन कब्जा न करे, ना ही प्रवेश करे ना ही काश्त करे [illegible] ही किसी प्रकार की बाधा आदि पैदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:57 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

करे और ना ही प्रार्थीगण के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा डाले ना ही राजस्व अभिलेख की वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव करें।

8. प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री शंकर स्वामी ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिसमें प्रार्थना–पत्र की मद सं. 1 में वर्णित यह कथन कि उपरोक्त अनुवान का दावा प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण के खिलाफ घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है स्वीकार है, इस मद के शेष कथन गलत व झूठ लिखे हुए होने के कारण से स्वीकार नहीं है, अस्वीकार किए जाते है प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध सफलता मिलने की कतई संभावना नहीं है। प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 2 स्वीकार है। प्रार्थना–पत्र की मद सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नंबर, तादादी रोही गांव बाबत किए गये कथन इस मद में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 1 के दादा स्व. सत्यनारायण की खातेदारी की थी सत्यनारायण के स्वर्गवास के बाद प्रार्थी के पिता नन्दकिशोर व प्रार्थी के ताऊ शंभूदयाल के नाम से रिकॉर्ड में वर्तमान खातेदारी दर्ज हो गई, की बबात कथन स्वीकार है इस मद में शेष कथन गलत व झूठे लिखे हुए होने के कारण से स्वीकार नहीं है अस्वीकार किए जाते है। स्व. सत्यनारायण के दो पुत्र नन्दकिशोर व शंभुदयाल अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 पुत्रगण है जिनका इस मद में वर्णित कृषि भूमि में 1/2–1/2 हक हिस्सा है जो वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है प्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी सं. 1 का पुत्र है प्रार्थीया सं. 2 अप्रार्थी सं. 1 की पत्नी है जिनके लिए वादगत कृषि भूमि में प्रार्थी सं. 1 के 1/2 हिस्सा की भूमि पैतृक दादालाई मौरूसी जायदाद हो सकती है वादगत कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 2 अकेला एक मात्र 1/2 का मालिक है अप्रार्थी सं. 2 के 1/2 हिस्सा में प्रार्थीगण का कोई संबंध सरोकार न तो कभी था व न ही अब है वादगत कृषि भूमि में से अप्रार्थी सं. 2 के 1/2 हिस्सा की भूमि प्रार्थीगण की ancestral Property न तो है व न ही कानूनन हो सकती है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं. 2 की हद तक अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला कतई साबित नहीं है। प्रार्थना–पत्र की मद सं. 4 में वर्णित ये कथन कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 संयुक्त परिवार के सदस्य है जो हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा से शासित होते है स्वीकार है, तथा इस में पारिवारिक फैसलनामा होने के कथन स्वीकार है शेष कथन गलत व झूठे लिखे हुए होने के कारण से स्वीकार नहीं है अस्वीकार किए जाते है। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 के पुत्र व पत्नी है अप्रार्थी सं. 1 के वादगत कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा के coparc enaries है जिनका अप्रार्थी सं. 2 के वादगत कृषि भूमि में 1/2 हक हिस्सा से कोई संबंध सरोकार नहीं है अप्रार्थी सं. 2 वादगत कृषि भूमि में 1/2 हक हिस्सा की भूमि को वर्षों पूर्व हुए बाहमी बंटवारा के मुताबिक सदैव से काश्त करता आ रहा है व वादगत कृषि भूमि में 1/2 हक हिस्सा का खातेदार काबिज काश्तकार है व रिकॉर्डेड खातेदार है ऐसी सूरत में अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध व प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा के सन्तुलन का कोई सिद्धान्त नहीं है। प्रार्थना–पत्र की मद सं. 5 में वग्रित यह कथन कि प्रार्थीगण अपने अधिकारों व कब्जे काश्त की कृषि भूमि की रक्षा हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के खिलाफ कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी है गलत व झूठ लिखे हुए होने के कारण से स्वीकार नहीं है अस्वीकार किए जाते है। इस मद के शेष कथन स्वीकार है वादगत कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 2 का 1/2 हक हिस्सा अप्रार्थी सं. 2 मुताबिक काबिज काश्तकार चला आ रहा है। जिससे प्रार्थीगण का कोई संबंध नहीं है ऐसी सूरत में अप्रार्थी सं. 2 को गलत रूप से पक्षकार बना क[illegible]ं. 1 के साथ साथ अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध भी बिना किसी प्रकार के [illegible] निषेधाज्ञा प्राप्ति का प्रार्थना–पत्र पेश किया है ऐसे प्रार्थना–पत्र व[illegible] किसी भी प्रकार से कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के प्रार्थीगण अधिकारी नहीं है। प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 6 गलत व झूठ

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:57 IST
Reason: SelfAttested

लिखी हुई होने के कारण से स्वीकार नहीं है अस्वीकार की जाती है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के बीच वर्षों से पारिवारिक विवाद व लड़ाई झगड़ा चलता आ रहा है प्रार्थी संख्या 2 अपने पुत्र प्रार्थी सं. 1 के साथ गांव कोटवाद नाथोतान रहती है प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के बीच विवाद से अप्रार्थी सं. 2 का कोई लेना देना नहीं है वादगत कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 2 को बिना किसी आधार के गलत रूप से पक्षकार प्रार्थना–पत्र बनाया है अप्रार्थी सं. 2 अप्रार्थी सं. 1 का भाई होने से झूठी कहानी बनाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह झूठा प्रार्थना–पत्र पेश किया है तथा अप्रार्थी सं. 2 पर झुठे व निराधार आरोप लगाये है अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा का खातेदार काबिज काश्तकार है ऐसी सूरत में कानूनन अप्रार्थी सं. 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के वर्जित किया जाना कतई न्यायोसचित नहीं है व न ही विधि सम्मत है। प्रार्थना–पत्र की मद सं. 7 गलत झुठ व मनगढन्त लिखी हुई होने के कारण से स्वीकार नहीं है अस्वीकार की जाती है, प्रार्थीगण ने इस मद में तमाम कथन प्रार्थना–पत्र को झुठी रंगत देने की मन्सा से गलत लिखे है प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 2 को गलत, झूठा व बिना किसी आधार के पक्षकार वाद व प्रार्थना–पत्र बनाया है अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध ऐसा दावा एवं प्रार्थना–पत्र पेश करने की प्रार्थीगण को कतई आवश्यकता नहीं थी। विशेष आपतियांः अप्रार्थी सं. 1 वादगत कृषि भूमि ख.नं. 737/169 तादादी 4.0784 हैक्ट., ख.नं. 32 तादादी 19.3869 हैक्ट., ख.नं. 34 तादादी 5.9438 हैक्ट., ख.नं. 35/384 तादादी 0.8094 हैक्ट. रोही मोजा कुनसीसर तहसील चूरू का 1/2 हिस्सा का रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है कानूनन किसी भी रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी करना न तो कानूनन सही है व न ही न्यायोचित है व न ही जारी की जा सकती है। प्रार्थीगण ने अपने दावा व प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति में केवल मात्र अप्रार्थी सं. 1 के बाहमी बंटवारा में आये हिस्सा पर कब्जा काश्त बताया है ऐसी सूरत में पूरी भूमि पर बिना किसी कब्जा काश्त व हक अधिकार के सम्पूर्ण कृषि भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना कानूनन सही नहीं है व न ही न्यायोचित है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 को बिना किसी आधार के गलत रूप से पक्षकारान बतौर अप्रार्थीगण बनाया है जिनका न तो राजस्व रिकॉर्ड में नाम है व न ही वादगत कृषि भूमि से उनका कोई संबंध सरोकार है ऐसी सूरत में पक्षकारों के कुसंयोजन से भी प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

अतः अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध खारिज फरमाया जावे तथा पूर्व में जारी एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.9.2020 भी अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध जारी की हुई है को खारिज फरमाई जावे।

9. पत्रावली में सीधे बहस में नियत की गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल दावा के निर्णय तक अप्रार्थीगण को वर्जित किया जावे कि प्रार्थीगण के कब्ज, काश्त व पुश्तैनी कृषि भूमि को या इस वादगत कृषि भूमि के किसी भाग का अजनबी व्यक्ति को विक्रय या किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण न करे, ना ही प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व पुश्तैनी कृषि भूमि में जबरन कब्जा न करे, ना ही प्रवेश करे ना ही काश्त करे ना ही किसी प्रकार की बाधा आदि पैदा करे और ना ही प्रार्थीगण के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा [illegible] ना ही राजस्व अभिलेख की वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव करें। अप्रार्थी अधिवकता ने दौ[illegible] अप्रार्थी सं. 1 वादगत कृषि भूमि ख. नं. 737/169 तादादी 4.0784 हैक्ट[illegible] ख.नं. 34 तादादी 5.9438 हैक्ट., ख.नं. 35/384 तादादी 0.8094 हैक्ट. [illegible] तहसील चूरू का 1/2 हिस्सा का रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है कानूनन किसी भी रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:57 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

भी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी करना न तो कानूनन सही है व न ही न्यायोचित है व न ही जारी की जा सकती है। प्रार्थीगण ने अपने दावा व प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति में केवल मात्र अप्रार्थी सं. 1 के बाहमी बंटवारा में आये हिस्सा पर कब्जा काश्त बताया है ऐसी सूरत में पूरी भूमि पर बिना किसी कब्जा काश्त व हक अधिकार के सम्पूर्ण कृषि भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना कानूनन सही नहीं है। अतः अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध खारिज फरमाया जावे तथा पूर्व में जारी एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.9.2020 भी अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध जारी की हुई है को खारिज फरमाई जावे।

10. यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत वाद में प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का कथन है कि वादगत कृषि भूमि पैतृक संपत्ति है तथा प्रार्थी सं. 1 को उसमें जन्म से अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि के एक भाग पर कब्जा एवं काश्त किया जाना बताया गया है तथा यह आशंका व्यक्त की गई है कि अप्रार्थी सं. 1 उक्त भूमि का विक्रय / हस्तांतरण कर सकता है, जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि वह वादगत कृषि भूमि के 1 / 2 हिस्से का स्वतंत्र खातेदार एवं काश्तकार है तथा प्रार्थीगण का उसके हिस्से से कोई संबंध नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का परीक्षण किया गया। पत्रावली से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वादगत कृषि भूमि स्व. सत्यनारायण की पैतृक संपत्ति रही है तथा प्रार्थी सं. 1 को उसमें अधिकार होने का prima facie मामला बनता है। साथ ही, यह तथ्य भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं. 2 वादगत भूमि के 1 / 2 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार है तथा उस हिस्से पर उसका स्वतंत्र कब्जा / काश्त होना विवादित नहीं है। अतः उस हिस्से में हस्तक्षेप करना इस स्तर पर न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में यह उचित है कि केवल उस हिस्से के संबंध में, जिसमें प्रार्थीगण का दावा है (अर्थात अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से तक), यथास्थिति बनाए रखी जाए। अतः प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

आदेश है कि

वाद के अंतिम निर्णय तक, अप्रार्थी सं. 1 अपने हिस्से की वादगत कृषि भूमि को विक्रय, हस्तांतरण, बंधक अथवा अन्य किसी प्रकार से नहीं करेगा। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण के कब्जे / काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा तथा उन्हें बेदखल नहीं करेगा। वादगत कृषि भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी केवल अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से तक सीमित रहेगी। अप्रार्थी सं. 2 के 1 / 2 हिस्से पर यह आदेश लागू नहीं होगा, तथा वह अपने हिस्से का विधि अनुसार उपयोग एवं काश्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। यह आदेश अस्थाई प्रकृति का है तथा वाद के अंतिम निर्णय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 23.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर लगाकर जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:57 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार– I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उप खण्ड अधिकारी
चूरू